

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जलत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भोपालगढ़  
जयराज बनाम सुभाष जवान  
 कदमा 212 RTA नं. ... सन् 25/2020

ख म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
--------	-----------------------------------	---

24/05/2021 पत्रावली पेश। आज पाठ्यासन अधिकारी सरकारी कार्य भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली इलुवा होकर दिनांक 22/05/2021 को पेश है।  
 कोटीग जयराज

12/08/2021 पत्रावली पेश। जर्जी वकील सुनु। अजर्जी वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते अजर्जी क्र. 2 डाल जवाब ज.पत्र पेश करे हेतु दि. 26/08/2021 को पेश है।

26/08/2021 पत्रावली पेश। जर्जी वकील सुनु। अजर्जी वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते अजर्जी क्र. 2 डाल जवाब ज.पत्र पेश करे हेतु दि. 16/08/2021 को पेश है।

16/8/21 पत्रावली पेश। आज पाठ्यासन अधिकारी सरकारी कार्य भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली इलुवा होकर दिनांक 20/8/21 को पेश है।

13/09/21 जर्जी की ओर से ज.पत्र वादा शुरू बाद आप ही अनुवर्त करे तथा शुरू बाद खारिज क्रि जाते का पेश निमा तथा जो बाद अनुवर्त स्विकार

सहायक कलक्टर  
 एवं उपखण्ड अधिकारी  
 भोपालगढ़ (जोधपुर)

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नया  
अस  
हुकम  
म  
ख  
म

विधि

निष्ठा उभय तथा राजस्व वाद क्र. 62/2020

(अर्थात् क्र. 1 व 2 करीब)

अन्या जजलम अगत सुभाष उभय एवं काउटे वाद खारिज किया जाते है प्रकीर्ण प्रक्रिया-पत्र के

(अर्थात् क्र. 1 व 2 करीब)

कौर कार्यवाही शेष ही होने के एवं अर्थात् एवं अर्थात् क्र. 1, 2 करीब एवं अर्थात् क्र. 2 करीब

(अर्थात् क्र. 2 करीब)

द्वारा निकल गिये जाते पर अर्थात् प्रक्रिया-पत्र

(अर्थात् करीब)

अंतर्गत धारा 22 RT Act एवं अर्थात् क्र. 1

द्वारा प्रस्तुत काउटे प्रक्रिया-पत्र में कौर कार्यवाही शेष ही होने एवं मौखिकता होने तथा अर्थात् तथा

अर्थात् क्र. 1, 2 करीब एवं अर्थात् क्र. 2 करीब

द्वारा निकल गिये जाते पर अर्थात् प्रक्रिया-पत्र

अंतर्गत धारा 22 RT Act एवं अर्थात् क्र. 1 द्वारा

प्रस्तुत काउटे प्रक्रिया-पत्र परिये बिना खारिज किया जाता है फावरी सैलर गुणा होने की वक्ता है.

कम होने दायित्व रहता है। किंवा माय। माय.

12/05/24 को न्यायालय में सुनाया गया।

12/05/24  
12/05/24

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज